विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–15 / 2026
पंजीकरण तिथिः–03.02.2026
निर्णय की तिथिः– 09.04.2026

मुनेश कुमार पुत्र श्री नन्हे सिंह, — परिवादी
निवसी–राजेन्द्र नगर राजपुरा,
वार्ड सं0–13, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(नगर)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि– मैं राजेन्द्र नगर राजपुरा वार्ड नं0–13 हल्द्वानी जिला नैनीताल का निवासी हूँ, मेरा नया घरेलू विद्युत संयोजन संख्या–**382N223875724** है। मेरा पुराना विद्युत संयोजन संख्या–**382N22114035** है। विद्युत बिल की अधिकतम धनराशि होने के कारण भवन के द्वितीय तल में एक नये कनेक्शन के लिए दिनांक 21.12.2024 को आवेदन किया था। जिसके 6 माह पश्चात जेई साहब के द्वारा पुराना मीटर लगवा दिया गया। जिसे लगाने पर मेरे द्वारा आपत्ति जतायी गयी, जेई साहब का मानना था कि पुराने मीटर से कोई परेशानी नहीं होगी, इस मीटर को लाईन मैंन द्वारा मुख्य लाईन से जोड़ दिया गया लेकिन मेरे द्वारा मीटर को घर की लाईन से नही जोड़ा गया फिर इसके पश्चात प्रथम बिल 15,000/– रुपये का आया मेरे द्वारा बिजली विभाग में शिकायत दर्ज की गयी और बिजली विभाग द्वारा इस बिल को संशोधित कर दिया गया और कहा गया कि नया मीटर लग जायेगा। मैं दो वर्षो से नए मीटर के लिए बिजली विभाग में सम्पर्क कर रहा हूं। परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मीटर को घर की लाईन के बिना जुड़े 4146 रुपये का बिल जनवरी 2026 में पुनः भेजा गया जिससे में सन्तुष्ट नहीं हूँ महोदय से है

कि इस बिल को निरस्त किया जाय और नये मीटर को लगवाया जाय। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा जवाब दाखिल कर इस बिल को निरस्त करने तथा नये मीटर को लगवाने की कृपा करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांक 10.02.2026 में कहा गया कि उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री के अनसार माह 05/2025 से **IDF** आधारित बिल निर्मित है, परन्तु उपभोक्ता द्वारा अभी तक कोई भुगतान न किये जाने के कारण वर्तमान में अवशेष रू 4146.00 है। उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री एवं लेजर की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

3. परिवादी द्वारा अपनी आपत्ति में कहा गया है कि मैं राजेन्द्र नगर राजपुरा वाड नं0–13 हल्द्वानी जिला नैनीताल का निवासी हूँ (**Conn No-382N223875724**) 05/2025 से **IDF** आधारित बिल निर्मित हो रहा है, जिसकी अवशेष राशि 4146.00 शेष है, परन्तु मेरे हारा मीटर को घर की मुख्य लाइन से जोड़ा नही गया, लेकिन फिर भी मीटर में प्रतिमाह रिडिंग बढ़ती जा रही है और रिडिंग के अनुशार प्रतिमाह बिल प्राप्त हो रहा है, परन्तु मेरे द्वारा बिजली का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया, 21/12/2024 को मेरे द्वारा नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था, जिसक लगभग 6 माह वाद मीटर लगाया गया और मीटर लगने के अगले हि माह से मुझे **IDF** में बिल प्राप्त हो रहा है,

महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द मेरी मीटर संबंधी समस्या का समाधान करने की कृपा करें।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 19.02.2026 को अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित पुराने **IDF** मापक को परिवर्तित कर दिया गया है। परिवादी के मापक की सीलिंग सार्टिफिकेट की प्रति संलग्न है।

5. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 11.03.2026 को अपने पत्र के माध्यम से पुनः अवगत कराया गया कि उपभोक्ता श्री मुनेश कुमार पुत्र श्री नन्हें सिंह, निवासी–राजेन्द्र नगर राजपुरा वार्ड–13, हल्द्वानी (**Conn-No- 382N223875724**) की बिलिंग से सम्बन्धित शिकायत उपभोक्ता शिकायत निवारण में संस्थित। इस सम्बन्ध में आपके कार्यालय पत्रांक 144/15/2025–26 दिनांक 24.02.2026 के कम में उप खण्ड कार्यालय द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर स्थलीय निरीक्षण कराया जिसके अनुसार उपभोक्ता के परिसर पर वर्तमान में स्मार्ट मापक स्थापित है, जिसमें वर्तमान तिथि तक शून्य रीडिंग पाठ्यांक है। उपभोक्ता के परिसर पर पुराने मापक स्थापन की तिथि 21.12.2024 है, जिसकी सीलिंग सार्टिफिकेट के प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

6. मंच द्वारा सुनवाई के लिए 12.03.2026 की तिथि नियत की गई थी। विपक्षी की तरफ से विभागीय लेखाकार उपस्थित हुए। विभाग द्वारा उपरोक्त पत्र दिनांक 11.03.2026 की प्रतिलिपि के साथ सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की। पुराना मापक संयोजन अवमुक्त करने की तिथि 21.12.2024 को **IR** 12801 पर स्थापित किया गया जिसे 18.02.2026 को उतारा गया। मीटर बदलते समय रीडिंग 20445 थी। परंतु परिवादी का संयोजन अवमुक्त करने के बाद से ही आई0डी0एफ0 के बना दिये गए। इसके दृष्टिगत विपक्षी को आदेशित किया गया कि मापक संख्या–**U461101** की **MRI** रिपोर्ट दिनांक 23.03.2026 तक मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। दिनांक 20.03.2026 को विभाग के द्वारा अतिरिक्त समय की मांग की गई जिसे स्वीकार करते हुए सुनवाई 09.04.2026 ~~के लिए~~ की तिथि नियत की गई। नियत तिथि 09.04.2026 को सुनवाई के लिए दोनों पक्ष मंच के समक्ष उपस्थित हुए। पक्षकारों को सुना गया एवं प्रस्तुत पत्रावली का परिशिलन किया गया। मंच के मत में परिवादी के परिसर पर स्थापित मापक

की **MRI** अनुपलब्धता के कारण खपत के संबंध में कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होने के कारण परिवादी को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा। क्योंकि नये स्मार्ट मीटर में भी खपत शून्य ही है। अतः परिवादी को 21.12.2024 से 31.03.2026 तक शून्य खपत का बिल जारी किया जाना तर्कसंगत है।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के मीटर स्थापना तिथि 21.12.2024 से 31.03.2026 तक के बीजक शून्य खपत पर निर्मित करते हुए परिवादी से भुगतान लिया जाये। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–26 / 2026
पंजीकरण तिथिः–19.02.2026
निर्णय की तिथिः– 08.04.2026

विकाश टांक पुत्र स्व0 यशपाल,
विडोर होम नियर,
बी0डी0 पाण्डें अस्पताल,
नियर मल्लीताल, जिला–नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:– प्रार्थी के पिता के नाम से विद्युत सयोजन सं० **592A248092763** जो कि श्री यशपाल पुत्र नन्हें मियां बिडोज होम नियर बी०डी० पाण्डे अस्पताल मल्लीताल में लगा हुआ है जिसमें विद्युत भार 1 किलोवाट है तथा 23 जनवरी 2010 में संयोजन लगा है महोदय आपको अवगत कराना है कि प्रार्थी के परिसर कॉमेट मेक का मीटर गेय का मीटर लगा हुआ है वर्ष 2010 से 25 नवम्बर 2024 तक विद्युत बिल का उपभोग संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है इस क्रम में आपको अवगत कराना है कि दिनांक–29 सितम्बर 2025 को मेरे द्वारा चेक मीटर हेतु आवेदन किया गया जिसमें कोई अन्तर न होना दर्शाया गया है जिसकी रिपोर्ट सलग्न है महोदय प्रार्थी एक बहुत गरीब परिवार से है तथा घरेलू संयोजन कर इतना अधिक बिल एक माह का प्रार्थी के सामर्थ से ऊपर है तथा एक माह में हीं 5520 यूनिट होना मापक का जम्प होना प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि 25 नवम्बर 2024 तक मीटर रीडर द्वारा रीडिंग 17750 से 17990, 240 यूनिट थी जो कि 25 नवम्बर तक पूर्ण थी पूर्व माहों में भी लगभग यही उपभोग रहा है।

महोदय चेक मीटर में मापक का कोई समाधान नहीं हो पाया है प्रार्थी के पास मात्र 3 कमरे है। जिस कारण प्रार्थी आपकी शरण में न्याय हेतु आया है।

प्रार्थी को बारबार कनेक्शन काटने की धमकी मिल रही है कि जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक. 22 सितम्बर 2025 को 300000 व दिनांक– 11 फरवरी 2025 को 20000 की धनराशी कहीं से मांग कर जमा कर दी गयी वर्तमान में बिल पुनः 50151 का आ गया है। महोदय यह मीटर कॉमेट का है जो विभाग द्वारा पूर्व मे भी खराब पाये गये थे महोदय प्रार्थी बहुत गरीब उपभोक्ता है 1 किलोवाट के संयोजन कर कुछ माहों में 1 लाख से अधिक का बिल आना न्यायसंगत नही लगरहा है।

अतः अनुरोध है कि 25 नवम्बर 2024 के बाद बने मेरे बिलों को पिछले उपभोग के अधार पर बनाने हेतु उक्त में कृपा करने की कष्ट करेंगे। जिसमें मैं मेरा परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा सम्बन्धित को दिशा निर्देश देने का करेंगे।

इस क्रम में कंज्यूमर हिस्टी व रसीदों की प्रति संलग्न है

महोदय 1 किलोवाट संयोजन पर एक माह में ही 50000 का बिल आ गया है जिसके बाद बिल लगातार गलत बनते जा रहे हैं प्रार्थी को न्याय दिलाते हुए प्रार्थी के इस अप्रत्यासित बिल ले निजात दिलाने की कृपा करगें।

2. वाद पर विपक्षी को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु 25.02.2026 की तिथि नियत की गई। जिस तिथि पर विपक्षी ने अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे स्वीकार किया गया, साथ ही यह निर्देशित किया गया कि "उपभोक्ता के मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट के साथ विस्तृत आख्या दिनांक 09.03.2026 तक मंच में प्रस्तुत करें। साथ ही उपभोक्ता से 15000/– पंद्रह हजार रुपये लेकर संयोजन विच्छेदित ना करें। उपभोक्ता/परिवादी को भी निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के भीतर 15000 (पंद्रह हजार रुपये) विपक्षी कार्यालय में जमा कराये, जिससे संयोजन विच्छेदित होने से बचा जा सके।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 09.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री विकास मल्लीताल, नैनीताल संयोजन संख्या (592A248092763) मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है:–
   1) उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार उपभोक्ता को निर्गत किया गया विद्युत बिल मापक में प्राप्त रीड़िंग के अनुसार सही है।
   2) उपभोक्ता को विद्युत बिल की जांच करने के लिये चैक मापक स्थापित कर मापक की जांच की गयी है जिसमें मापक सही पाया गया है।
   3) उपभोक्ता के मापक की एम०आर०आई जांच नहीं हो पा रही है। जिसके क्रम में चैक मापक की सिलिंग की प्रति एवं कन्ज्यूमर हिस्ट्री संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

   मंच ने पत्रावली का अवलोकन कर पाया कि:– परिवादी द्वारा मंच की ओर से दिनांक 20.02.2026 में जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।
4. दिनांक 11.03.2026 को मंच में सुनवाई की नियत की गई। परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी को सुना गया। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी का चैक मापक 03.02.2026 को

स्थापित किया गया जिसे 16.02.2026 को चैक मापक फाईनल सीलिंग भरी गई। चैक मापक फाईनल रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं पाया गया। विपक्षी मीटर की MRI प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी का 23 जनवरी 2025 का बीजक दिनांक 29.08.2024 से 25.11. 2024 की खपत के औसत आधार पर संशोधित करें तथा मापक बदलकर एम0आर0आई0 रिपोर्ट युक्त मापक स्थापित करें।

5. विपक्षी/विभाग द्वारा 04.04.2026 को सुनवाई तिथि 11.03.2026 में दिये गये निर्देशों के अनुसार संशोधित बिल प्रस्तुत किया गया।

6. दिनांक 08.04.2026 को मंच में पुनः सुनवाई तिथि तय की गयी। सुनवाई के समय परिवादी द्वारा अपने पत्र के माध्यम के अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने विद्युत संयोजन पर ज्यादा बिल आने की शिकायत दर्ज करायी गयी थी। मैं माननीय महोदय का अभारी हूँ कि आपने मेरी शिकायत का न्याय सगंत समाधान हेतु सम्बन्धित में निर्देश किया। महोदय उक्त कम में आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि परिसर पर लगा मापक पूर्णतः खराब था तथा मेरे वास्तविक उपभोग से ज्यादा दे रहा था, महोदय प्रार्थी के बिल में केवल माह 01/2026 का ही संसोधित किया गया है जबकि मापक पूर्ण रूप से दोष पूर्ण था, इस कम में वास्तविक उपभोग का विवरण निम्नवत है।

31/2024 में युनिट– 237
05/2024 में युनिट–206

07/2024 में युनिट–345
08/2024 में युनिट–200
11/2024 में युनिट–240

महोदय उक्त मापक में 01/2025 से लगातार गलत रिडिंग दे रहा है जिसका विवरण निम्नवत है।

01/2025 में युनिट –5620
03/2025 में युनिट–1681
05/2025 में युनिट 1175
06/2025 में युनिट 124
07/2025 में युनिट 1154
08/2025 में युनिट 55
09/2025 में युनिट –1598
10/2025 में युनिट 649
11/2025 में युनिट 620
03/2026 में युनिट – 456

उपरोक्त विवरण है स्पष्ट हो रहा है कि मापक 01/2025 से वर्तमान तक लगातार मेरे उपयोग से बता रहा है।

अतः महोदय आप से पुनः अनुरोध है कि माह 01/2025 से 03/2026 तक बने दोषपूर्ण मापक रीडिंग को वास्तविक उपभोग जो कि माननीय मंच ने तय किया है के आधार पर संसोधित

करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगें जिससे प्रार्थी आपका आभारी रहेगा तथा इस पर जो भी बिल बनेगा प्रार्थी पूर्णतय से संतुष्ट होगा। इस दोषपूर्ण मापक को अतिशीघ्र बदल कर प्रार्थी को इस दोषपूर्ण मापक से मुक्ति दिलाने की कृपा करेंगें।

7. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा मंच के आदेश पर पूर्व में ही परिवादी का बीजक संशोधन किया जा चुका है। संशोधन के पश्चात परिवादी पर 12579.37 रुपया बकाया है, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा किया जाना है विपक्षी ने परिवादी के मापक बदलने के संबंध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की है।

आदेश

परिवादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादी का बीजक पूर्व में ही संशोधित किया जा चुका है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का मापक एक सप्ताह के भीतर बदलकर एम0आर0आई0 प्रावधान युक्त मीटर स्थापित करें। परिवादी भी एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि जमा करायें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08.04.2026

08/04/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–08.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–27 / 2026
पंजीकरण तिथि–21.02.2026
निर्णय तिथि–07.04.2026

लाल बहादुर थापा
नियर हाई स्कूल
रानीबाग
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 21.02.2026 में कहा गया है कि " **Please the subject matter mentioned in the application which has been submitted to JE UPCL Kathgodam–Haldwani and SDO UPCL Haldwani duly signed by all residents of the villagers Rabibagh in all respects on 10 Feb 2026. Copy of application is enclosed for ready reference alongwith photograph of transformer, tree and band cable wire. Action has not been taken in connection with submitted application on the subject matter. Keeping In view of the above, it is humbly requested on behalf of all the residents of the villagers Ranibagh near Govt High School that matter may please be considered sympathetically and action be taken for protection of life and property. All the resident of the villagers Ranibagh near High School will be highly obliged for this act of kindness.**"
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 28.02.2026 में कहा गया है कि विद्युत विभाग द्वारा विद्युत ट्रान्सफारमर बिजली पोलों व विद्युत तारों की मरम्मत सम्बन्धित कार्य समय–समय पर सम्बन्धित कार्यदायी ठेकेदार के माध्यम से अनुबंध कराये जाने के उपरान्त कार्य सम्पादित कराये जाते है, तथापि सम्बन्धित क्षेत्र से सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी को इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

3.विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त उत्तर पत्र दिनांकित 09.03.2026 में कहा गया है कि सम्बन्धित क्षेत्र के उप खण्ड अधिकारी को उपभोक्ता की शिकायत के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है, जिनके द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि क्षेत्र की

उक्त शिकायत के निवारण सम्बन्धी कार्य निविदाकार के माध्यम से कार्य सम्पादित कराये जायेंगे, जिस हेतु निविदा प्रक्रिया सम्पादन, कार्यदायी निविदाकार का चयन एवं तत्पश्चात कार्यों का सम्पादन हेतु समय की आवश्यकता होगी। अतः इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कार्य के सम्पादन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया के दृष्टिगत पर्याप्त समय प्रदान करने की कृपा करें।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री लाल बहादुर थापा, नियर हाई स्कूल, रानीबाग, जिला–नैनीताल की विविध (वोल्टेज/लौपिंग चौपिंग) सम्बन्धी शिकायत निवारण में संस्थित है। उप खण्ड अधिकारी, विद्युत उप खण्ड कार्यालय, सुभाषनगर द्वारा अपने पत्रांक–323 दिनांक 02.04.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर लो–वोल्टेज की समस्या का निराकरण कर दिया गया है।
4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 07.04.2026 में कहा गया है कि **"CGRF Kumaon Zone letter No 138/CGRF, Kumaon Zone/Hld/27/2005/26, addressed to Executive Engineer Electricity Distribution Division UPCL, Tikoniya Haldwani and copy to us. Application submitted alongwith connected documents towards all residential Ranibagh near Govt High School, Distt–Nainital dated 10 Feb 2026. Reference our email dated 21 Mar 2026. Inspite of many request UPCL staff has come in our area on 06 Apr 26 i. e. Ranibagh Near Govt High School where transformer installed. The UPCL staff has not physically checked / worked and stated that asked request will be rectified shortly. At present Voltage Fluctuation is okay and satisfied."**
5. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी द्वारा प्रस्तुत संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की **Voltage Fluctuation** संबंधी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–07.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>	<u>सदस्य (तकनीकी)</u>	<u>सदस्य (न्यायिक)</u>

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–07.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>	<u>सदस्य (तकनीकी)</u>	<u>सदस्य (न्यायिक)</u>

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–28 / 2026
पंजीकरण तिथि–21.02.2026
निर्णय तिथि–06.04.2026

पंकज मॉल
अशोक विहार
तीन पानी, धौलाखेड़ा
अर्जुनपुर
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रसतुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "**As I have registered complaint regarding smart meter that there is no export showing in my smart meter. But there no visit done by any UPCL team. I have installed solar panel in 19th January 2026. The Net meter the meter reading is showing import & export units. In smart meter the export & import units is considered as import units by this bill of January 2026 was increased. So there is possibility of February month bill also increase. You are requested ,Kindly check or verify the smart mete.**"
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 24.02.2026 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता के परिसर पर जो स्मार्ट तथा सोलर मापक की बिलिंग देरी से फीड होने के कारण बिलिंग में Import के साथ Export नहीं दिख रहा था, फीड कर दी गयी है। अतिशीघ्र ही सही बिल शिकायतकर्ता को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। माननीय फोरम से निवेदन है कि तिथि विस्तार करने का कष्ट करें।
3. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त उत्तर पत्र दिनांकित 24.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता (विद्युत संयोजन संख्या–391T116071694) 2.00 KW द्वारा अपनी शिकायत में बिलिंग न होने के साथ ही एक्सपोर्ट यूनिट्स के बिल में show ना होने की बात की गयी है। माननीय फोरम को स्पष्ट करना है कि दिनांक 03.03.2026 को शिकायतकर्ता का सोलर रूफटॉप विद्युत बिल बना दिया गया है, जिसमें एक्सपोर्ट भी प्रदर्शित हो रही

है। माननीय फोरम से निवेदन है की शिकायत की समस्या का निवारण किया जा चुका है, कृपया उक्त वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।

4. परिवादी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 26.03.2026 में कहा गया है कि **"Thnku sir this compliant is closed from my side. Please refer this mail as closer."**
5. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–06.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–06.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–29/2026
पंजीकरण तिथि–24.02.2026
निर्णय तिथि–08.04.2026

भुवन चन्द्र
पुत्र स्व0 लीलाधर
ग्राम–देवलचौड़
पो0ओ0–कालाढूंगी
तह0–कालाढूंगी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "Connection No RR1C111038490 in respect of Bhuwan Chandra S/o late Leeladhar village Dewalchour tehsil Kaladhugi district Nainital. The month of Sep 2025 employee of electricity department came for providing the electricity bill and told that your electric meter is defective (IDF) . My father is a farmer and not know about it. After that he had provided fixed 160 unit per month electricity bill from Sep 2025 to Dec 2025.My father paid all bills every month without fail. After installing new smart meter our electricity bill for the month of Jan 2026 provided by electricity department is Rs 51834/- for the village area. Total consumption of electricity per month is approx 125 to 150 unit. Three people live in this house 01 x male and 02 x women all are Senior citizen. A pdf of electricity bills last eight months including smart meter readings forwarded to you. You are humbly requested to analyse all the bills and take necessary action and provide a fair bill for the same as soon as possible."
2. परिवादी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि "Reference your letter No 142/CGRF, Kumaoun Zone/Hld/29/2025-26 dated 24 February 2026. You are requested to provide present position of case. Because electricity department has provided another bill for the same with interest and no one is helping me out for the

matter and employee of the electricity department is threatening my father that you must have paid the electricity bill. Please take necessary action for the issue and short out the burden of the huge amount of electricity bill."

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 12.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री भुवन चन्द्र पुत्र स्व0 लीलाधर के संयोजन का पूर्व में मापक बदला गया था। उक्त पूर्व में बदले गये मापक की एम०आर०आई० हेतु विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रामनगर के प्रेषित किया गया है जिसकी एम0आर0आई0 करने में समय लग रहा है। अतः मा० फोरम से अनुरोध है कि वाद संख्या–29/2025–26 के प्रतिउत्तर तैयार करने में समय लग रहा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि वाद के निस्तारण हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने का कष्ट करें।
4. मंच द्वारा सुनवाई एवं उत्तर प्रस्तुति के लिये 24.03.2026 की तिथि नियत की गई। नियत तिथि पर सुनवाई के लिये विपक्षी की तरफ से AE (R) उपस्थित हुये। परिवादी अनुपस्थित। विपक्षी द्वारा MRI रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि परिवादी के बिल पूर्व के एक वर्ष की खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करके संशोधित कर दिया गया है। सुनवाई में मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी का बिल सितंबर 2020 से वर्तमान तक की खपत को मासिक आधार पर विभाजित करते हुए समय–समय पर लागू दर सूची के अनुसार संशोधित कर के बिना किसी सरचार्ज लगा कर मंच में 04.04.26 तक प्रस्तुत करें।
5. परिवादी द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.03.2026 द्वारा विभाग की कार्यवाही से असंतुष्टि व्यक्त करते हुये सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का अनुरोध किया।
6. विपक्षी द्वारा मंच के आदेशानुसार संशोधित बिल पत्रांक 1566 दिनांक 04.04.26 द्वारा मंच को प्रेषित किया गया। बिल की प्रति विपक्षी को प्रेषित की गई एवं सुनवाई के लिये 08.04.2026 की तिथि नियत की गई।
7. नियत तिथि 08.04.2026 को उभय पक्ष सुनवाई के लिये मंच के समक्ष उपस्थित हुए। परिवादी द्वारा कहा गया कि उसने प्रत्येक बिल चक्र में उन सभी बिलों का भुगतान किया है जो उसे विपक्षी ने प्रदान किये हैं। अंतिम दो IDF बिलों का भी भुगतान किया गया है। फरवरी 2026 में प्राप्त बिल का भुगतान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एक बिल चक्र में 51834/– रुपये का बिल भेजा गया। अतः इस बिल को भी IDF आधार पर संशोधित किया जाये तथा नये मीटर की वास्तविक रीडिंग पर बिल भेजा जाये। समार्ट मीटर से पूर्व प्रार्थी के पुराने मीटर को 2017 में स्थापित किया गया था, जबकि मंच ने 2020 से बिल संशोधन कराया है। विपक्षी द्वारा कहा गया है पूर्व में ही मंच में परिवादी के मीटर की MRI रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। MRI से स्पष्ट है कि मीटर रीडिंग कंपनी के मीटर रीडर द्वारा सही रीडिंग नहीं ली गयी है। MRI से यह भी स्पष्ट है कि स्मार्ट मीटर स्थापित करते समय जो पुराना मीटर बदला गया वह Working था तथा सही रीडिंग दे रहा था। सीलिंग प्रमाण पत्र में भी मीटर की रीडिंग एवं सही कार्य करने का उल्लेख है, जिसमें परिवादी के भी हस्ताक्षर हैं।

मंच द्वारा उभय पक्षों के सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी के मापक की MRI रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मीटर रीडर ने प्रत्येक बिल चक्र में वास्तविक खपत से कम रीडिंग दर्ज की है तथा नवम्बर 2025 एवं दिसम्बर 2025 में मीटर रीडिंग IDF जान बूझकर दर्शायी गयी है जबकि MRI में उक्त महीनों की रीडिंग स्पष्ट है। विपक्षी तकनीकी रूप से यह साबित करने में सफल रहा है कि मीटररीडर

गलत रीडिंग ले रहा था। ऐसी स्थिति में मंच का मत है कि परिवादी के मीटर संख्या–61073332 की स्थापना तिथि 20.07.2017 से 20.12.2025 के तक का बिल मासिक औसत आधार पर समय–समय पर लागू टैरिफ दरों से संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के मीटर संख्या–61073332 की दिनांक 20.07.2017 से 20.12.2025 तक की कुल खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए समय–समय पर लागू टैरिफ दरों के अनुसार संशोधित करे। दिनांक 20.12.2025 से वर्तमान तक का बीजक स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर बनेगा। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा। परिवादी को भी आदेशित किया जाता है कि बिल संशोधन के बाद एक सप्ताह के भीतर बीजक का भुगतान करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08.04.2026

08/04/2026		08/04/2026
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08.04.2026

08/04/2026		08/04/2026
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–34 / 2026
पंजीकरण तिथि–28.02.2026
निर्णय तिथि–08.04.2026

मै0 आर0एस0एग्रो फूड्स परिवादी
राधा देवी
नया गांव, चन्दन सिंह
कमोला,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 28.02.2026 में कहा गया है कि मेरी मिल / फर्म का विद्युत कनेक्शन उपभोक्ता संख्या–RR0K000027643 M/S R S AGRO FOODS]NAYAGAON CHANDAN SINGH KALADHUNGI NAINITAL के नाम से संचालित है। JUNE 2025 को हमारे परिसर में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया था। उसके पश्चात से हमारे बिजली बिल में असामान्य एवं अत्यधिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। मीटर परिवर्तन से पूर्व औसत मासिक खपत बहुत कम थी, जबकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद यह बढ़ गई है, जो वास्तविक उपयोग से कहीं अधिक प्रतीत होती है। इस संबंध में हमने पूर्व में मौखिक एवं लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी, परंतु अभी तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है। अतः आपसे निवेदन है कि स्थापित स्मार्ट मीटर की विधिवत जाँच (Meter Testing) अधिकृत प्रयोगशाला में कराई जाए। जाँच पूर्ण होने तक विवादित बिल पर स्थगन प्रदान किया जाए। यदि मीटर में त्रुटि पाई जाती है तो बिल संशोधित कर उचित समायोजन किया जाए। मीटर की अधिकतम मांग (Maximum Demand), पावर फैक्टर एवं लोड विवरण की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। कृपया इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान करने की कृपा करें। अन्यथा नियमानुसार प्रकरण को उच्च स्तर (CGRF / विद्युत लोकपाल) पर प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 09.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता मै० आर०एस० एग्रो, स्वीकृत विद्युत भार 335 के०वी०ए०, विद्युत संयोजन

संख्या आर0आर00के0000027643 के उक्त संयोजन के सापेक्ष दिनांक 18.06.2025 को स्मार्ट मापक सं0–460000660 स्थापित किया गया था। माह 06/2025 से माह 09/2025 तक के विद्युत बिल पावर फैक्टर माह (06/2025-0.37, माह 07/2025–0.09, माह 08/2025–0.07, माह 09/2025–0.07) होने के कारण नियमानुसार निर्गत हुए हैं, जो कि सही हैं। जिन्हें नियमानुसार संशोधित नहीं किया जा सकता हैं। (विद्युत बिलों की छाया प्रति संलग्न)। उपरोक्त के अतिरिक्त उपभोक्ता के अनुरोध पर दिनांक 15.11. 2025 को शिकायत संख्या 21511250425 के माध्मय से चैक मापक लगाने हेतु रजिस्ट्रेशन किया गया था, किन्तु उपभोक्ता द्वारा चैक मापक शुल्क का भुगतान न करने के कारण दिनांक 22.02.2026 को उक्त शिकायत को क्लोज कर दिया गया था। (छाया प्रति संलग्न)। अतः मा० फोरम से अनुरोध है कि माह मार्च में राजस्व वसूली लक्ष्यों के दृष्टिगत उपभोक्ता को विद्युत बिल का भुगतान करने हेतु निर्देशित करते हुए वाद खारिज करने की कृपा करें।

3. मंच द्वारा द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 11.03.2026 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रयत्क्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये। सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा बताया गया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से पावर फैक्टर कम आ रहा है पूर्व में कभी ऐसी समस्या नहीं आई उसका कनैक्शन जोड़ा जाये। विपक्षी उपखंड अधिकारी द्वारा कहा गया की बिल टैरिफ ऑर्डर के अनुसार सही बने हैं। पावर फैक्टर सही कायम रखना परिवादी का दायित्व है।

उक्त सुनवाई के क्रम में मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी के मीटर की MRI रिपोर्ट दिनांक 18.03.2026 तक मंच में प्रस्तुत करें। परिवादी को निर्देशित किया गया कि बीजक के वर्तमान कुल बकाया का 40 फीसदी विपक्षी के कार्यालय में जमा करायें। साथ ही विपक्षी को यह भी आदेशित किया गया कि परिवादी यदि बकाया का 40 फीसदी जमा करा देता है तो उसका संयोजन जोड़ दिया जाए तथा भविष्य में वाद के निस्तारण तक उसके Current Bill लेते रहे। भविष्य में Current Bill जमा होने की दशा में संयोजन नहीं काटा जायेगा। यह आदेश वाद के अंतिम आदेश तक प्रभावी रहेगा तथा समस्त बीजक राशि अंतिम आदेश के अधीन समायोजित की जायेगी। विपक्षी और परिवादी दिनांक 18.03.2026 तक मंच में आख्या प्रस्तुत करेंगे।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 17.03.2026 में कहा गया है कि सहायक अभियन्ता (मापक) विद्युत परीक्षण प्रयोगशाल, रामनगर के कार्यालय पत्रांक 38 दिनांक 17.03.2026 के माध्मय से प्राप्त एम0आर0आई0 रिपार्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। माननीय फोरम को यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा मा० फोरम के आदेशों की अवहेलना करते हुए विद्युत बकाया राशि का 40 प्रतिशत वर्तमान तक नही किया गया है।

5. मंच द्वारा दिनांक 24.03.2026 को सुनवाई की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रयत्क्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये। विपक्षी/विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांक 11.03.2026 का पालन नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा कहा गया कि उसने ₹ 500000.00 (रूपया पांच लाख मात्र) विभाग में जमा कराया था वह लेजर में नहीं चढ़ाया गया है तथा उस पर LPS भी लग रहा है। इसी कारण मंच के आदेश पर बकाया का 40 फीसदी की सही गणना नहीं हो पाई है।

उक्त सुनवाई के क्रम में विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी की कुल बकाया राशि से 5 लाख घटाते हुए शेष बकाया का 40 फीसदी जमा करने पर संयोजन जोड़ दिया जाए। यह धनराशि अंतिम निर्णय आदेश के अधीन समायोजित होगी।

6. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 04.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा जमा धनराशि रु0 5.00 लाख को उपभोक्ता के बिल में समायोजित कर दिया गया था (लेजर की छाया प्रति संलग्न), किन्तु उपभोक्ता द्वारा शेष धनराशि रु० 15.92 लाख रूपये के 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण उपभोक्ता का संयोजन नहीं जोड़ा गया है।

7. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 08.04.2026 की तिथि नियत की गयी। पक्षकार उपस्थित हुये। पक्षकारों को सुना गया। परिवादी ने मंच के आदेशों दिनांक 24. 03.2026 एवं 11.03.2026 का पालन नहीं किया है। जबकि विपक्षी ने मंच के आदेश का अनुपालन कर परिवादी के ₹ 500000.00 (रूपया पांच लाख मात्र) की प्रविष्टि उसके लेजर में कर दी है। परिवादी द्वारा मंच के आदेश नहीं मानने से स्पष्ट हो जाता है कि परिवादी को अपना संयोजन पुर्न संयोजित करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोनों पक्षकारों के तर्क सुनने एवं प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मंच का मानना है कि परिवादी का बीजक विभाग द्वारा नियमानुसार ही बनाया गया है। परिवादी के विद्युत बिल स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 2–3 तीन चक्रों में असामान्य हैं परंतु यह परिवादी के Power Factor सही न ~~[illegible]~~ रखने पाने के कारण है जिसकी जिम्मेदारी उपभोक्ता की स्वयं की होती है। क्योंकि परिवादी के बिल नियमानुसार हैं अतः मंच इस पर कोई संशोधन आदेश पारित नहीं कर सकता। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–40/2026
पंजीकरण तिथि–11.03.2026
निर्णय तिथि–09.04.2026

कमल गोस्वामी
जय दुर्गा कॉलौनी
नवाबी रोड, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 11.03.2026 में कहा गया है कि मेरा नाम कमल गोस्वामी निवासी जय दुर्गा कॉलोनी नवाबी रोड है एवं मेरा Connection नम्बर 40114346571 है। महोदय हमारे पिताजी के नाम पर Connection था पर उनके देहावसान के बाद हम दो भाईयों ने पूरा बिल पूर्ण कर एक Connection नये एवं पुराने Connection को अपने नाम करवाने के लिये अप्लाई किया एवं Connection मिल गया। महोदय हमारे पूरे घर का बिल हमेशा पूर्व में 700 या 800 के आस–पास आता था लेकिन New Connection के बाद यह बिल बढ़ते हुये आया है। मई 2022 के बिल से हमारे पास तक के बिल की फोटो कॉपी संलग्न है।

21 April 2025 बिल – 903 ₹
New Connection के बाद
22–May – 1894 (New Connection के बाद)
02–Jun – 2989
21–Jun – 2321
21–July – 10546
21–Aug – 11309
24–Sep – 5195
23–Nov – 2036 (चैक मीटर लगाने की प्रकिया में भटकाया गया)

19–Jan – 4636 (चैक मीटर बाद 2 महीने का)

18–Feb–2026 781 ₹/महीना

(चैक मीटर लगाया 01–NOV–2025 व चैक मीटर हटाया 01–DEC–2025)

महोदय मैं पिछले May–2025 से लगातार विभाग के चक्कर चला रहा हूँ कभी आवास विकास (मुख्यालय) के तो कभी चैक मीटर की MRI Report के पर मुझसे कहा गया कि आपका बिल 22% Fast है और अधिकतम 30% ही हो सकता है। महोदय मैं अंतिम निवेदन के तौर पर इस याचिका पर मुझे न्याय देने की गुहार लगाता हूँ।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 18.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार समस्त बिल M.U. आधार पर निर्मित हैं। उपभोक्ता के परिसर पर चैकिंग मापक की रिर्पोट के आधार पर मापक की तीव्र चलने के आधार पर परिसर पर मापक परिवर्तित किया गया है एवं रू० (–) 8349.00 का CCBR कर बिल संशोधित किया गया है। उपभोक्ता हिस्ट्री की प्रति संलग्न है।
3. विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र की प्रति परिवादी को प्रेषित की गई एवं सुनवाई के लिए दिनांक 24.03.2026 की तिथि नियत की गई। परिवादी द्वारा सुनवाई में कहा गया कि उसे चैक मापक का समायोजन मार्च माह में दिया जा रहा है जबकि 05.12.2025 को चैक मापक फाइनल हो गया था। समायोजन में भी मात्र धनराशि लिखी गई है आधार एवं समायोजन की समयावधि स्पष्ट नहीं है। साथ ही विभाग की गलती से LPS भी लगा है। परिवादी ने स्पष्ट विवरण की मांग की एवं संयोजन विच्छेदन न किए जाने के लिए भी निवेदन किया है। मंच ने परिवादी के अनुरोध पर विपक्षी/विभाग को आदेशित किया कि परिवादी के तीन दिन ₹ 20000.00 (रूपया बीस हजार मात्र) में जमा कर दिये जाने पर संयोजन विच्छेदित ना किया जाये एवं अपेक्षित विवरण विभाग द्वारा परिवादी को दिया जाए। मंच द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 09.04.2026 की तिथि नियत की गई।
4. मंच द्वारासुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 09.04.2026 को उभय पक्ष मंच समक्ष उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के तर्क सुने गए एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा सुनवाई के समय अवगत कराया गया कि चैक मापक रिपोर्ट के आधार पर पूर्व के छः माह का समायोजन दिया गया है। विपक्षी ने सुनवाई के समय ही परिवादी को परिवादी की गणना शीट भी हस्तगत कराई। मंच ने पत्रावली के अवलोकन पश्चात पाया कि परिवादी के बीजकों में जुलाई 2025 से विलम्ब भुगतान अधिभार भी आरोपित किया गया है विपक्षी द्वारा चैक मापक फाइनल रिपोर्ट के आधार पर समायोजन तो प्रदान कर दिया गया है परंतु त्रुटिपूर्ण मीटर के आधार पर बने बिलों पर सरचार्ज जोड़ा जाना न्यायोचित नहीं है।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के दिनांक 21.07.2025 से वर्तमान तक के बीजको में लगाए गए विलम्ब भुगतान अधिभार (LPS)को हटाते हुए संशोधित बीजक जारी करे। परिवादी संशोधित बीजक प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन

के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/26		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–41/2026
पंजीकरण तिथि–11.03.2026
निर्णय तिथि–09.04.2026

शिखा गर्ग
पत्नी पवन गर्ग
मकान नं0–21
संगम विहार फेज–04
हीरापुरनायक, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी का वाणिज्यिक विद्युत संयोजन जिसकी संख्या 396K617153650 है। महोदय, प्रार्थी की दुकान अक्सर बंद रहती है तथा प्रार्थी को "0" रीडींग के बिल प्रेषित किये गये। प्रार्थी का मापक दुकान के बाहर लगा है जिससे रीडिंग लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती हैं, लेकिन अक्टूबर 25 माह में प्रार्थी का बिल बिना रीडिंग 531 Unit का बना दिया गया तथा फिर Nov 25 में कोई बिल नहीं दिया गया और Dec 25 में फिर से 386 Unit का बिल बगैर दुकान पर आये बना दिया गया है। तत्पश्चात् प्रार्थी ने अपनी दुकान का मीटर बदलवाकर Smart Meter लगवा दिया जिसमें Jan 26 का बिल सिर्फ 22 Unit तथा Feb 26 का बिल सिर्फ 15 Unit का आया। अतः आपसे अनुरोध है कि बिल में संशोधन करके ठीक बिल दिया जाये ताकि प्रार्थी बिल जमा कर सके।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 17.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता शिखा गर्ग, पत्नी श्री पवन गर्ग, मकान नम्बर 21, संगम विहार फेज 04, हीरापुर नायक, हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा संयोजन सं०–396K617153650 निम्न बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना चाही गयी है–

बिन्दु सं० 1– माह 10/2025 में 531 यूनिट का बिल MU के आधार पर प्रेषित किया है।

<u>बिन्दु सं० 2</u>– माह 12/2025 में **IDF** जोकि पूर्व के **MU** के औसत से दिया गया है।

<u>बिन्दु सं० 3</u>– 22.12.2025 में मापक बदला गया है जिसमें बिल का विवरण अवलोकन कर संलग्न किया गया है।

3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 24.03.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु उभय पक्ष मंच के समक्ष उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा परिवादी का संशोधित बिल प्रस्तुत किया गया, विपक्षी के संशोधन पर भी परिवादी ने आपत्ति जताई और कहा कि जिस माह 531 यूनिट की खपत दिखाई गई उस वक्त मीटर में डिस्प्ले ही नहीं था। मीटर रीडर द्वारा मनमाने ढंग से रीडिंग भरी गयी है। मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी के मापन की **MRI** रिपोर्ट प्रस्तुत करें। परिवादी को भी मीटर में डिस्प्ले नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण, यथा फोटोग्राफ/शिकायत करने का प्रमाण यदि हो तो मंच में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। मंच द्वारा वाद पर सुनवाई के हेतु पुनः दिनांक 09.04.2026 की तिथि नियत की गयी।
4. दिनांक 09.04.2026 को सुनवाई हेतु उभय पक्ष मंच के समक्ष उपस्थित हुए। मंच द्वारा पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिल संशोधन गणना शीट का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने वास्तविक मीटर रीडिंग को विभाजित करते हुए संशोधित बीजक राशि ₹ 5993.00 की गणना की है जिसमें कोई सरचार्ज भी नहीं जोड़ा गया है। मंच के मत में यह गणना सही है तथा इसी के अनुसार बीजक संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि मंच में प्रस्तुत गणना शीट के आधार पर परिवादी का संशोधित बीजक जारी करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026 (हिमांशु बहुगुणा) <u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>	(तिलक राज भाटिया) <u>सदस्य (तकनीकी)</u>	(विष्णु प्रसाद डोभाल) <u>सदस्य (न्यायिक)</u>

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026 (हिमांशु बहुगुणा) <u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>	(तिलक राज भाटिया) <u>सदस्य (तकनीकी)</u>	(विष्णु प्रसाद डोभाल) <u>सदस्य (न्यायिक)</u>

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–44 / 2026
पंजीकरण तिथि–16.03.2026
निर्णय तिथि–08.04.2026

फकीर राम
पुत्र हरक राम
गुलजारपुर राम सिंह
कालाढुंगी रामनगर
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 28.02.2026 में कहा गया है कि प्रार्थी ने अपने घर में बिजली का विभागिय मीटर लगाया है। जिसका उपभोक्ता संख्या कनैक्शन न० आर.आर.सी.–242101144 है कनेक्शन न० एकाउन्ट न० 40115080943 तथा बिल संख्या–46 / 260 / 040000480 है। जिनको बिल विभाग द्वारा ₹ 7229.00 दे दिया गया है। जिसे प्रार्थी अदा करने में अभी असमर्थ है। प्रार्थी चाहता है कि उसका बिल कम किया जाय जिससे प्रार्थी विभाग को बिल भुगतान कर सके।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 08.04.2026 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड (ग्रामीण), कालाढूंगी के कार्यालय पत्रांक–307 दिनांक 27.03.2026 के माध्मय से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि उपभोक्ता के विद्युत बिल मीटर रीडिंग के अनुसार ही बने हैं। वर्तमान में उपभोक्ता के परिसर पर स्मार्ट मीटर स्थापित है। स्मार्ट मीटर स्थापित करने के पश्चात् उतारे गये पुराने मीटर की फोटो संलग्न की जा रही है ।
3. मंच द्वारा द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.04.2026 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुये परिवादी अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान विपक्षी उपखंड अधिकारी द्वारा कंज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि

परिवादी के बीजक वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही बने हुए हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि परिवादी के बिल मीटर यूनिट आधार पर निर्मित है जो की सामान्य खपत के हैं। इस प्रकार सामान्य खपत के वास्तविक मीटर रीडिंग पर बने बिलों में किसी प्रकार के संशोधन करने का कोई अन्य औचित्य नहीं है। अत वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–45/2026
पंजीकरण तिथि–16.03.2026
निर्णय तिथि–09.04.2026

हंसी देवी
पत्नी स्व0 बृजलाल सागर
निवासी–अम्बेडकर नगर
वार्ड–27, बरेली रोड,
मंगल पडाव, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र दिनांकित 16.03.2026 में कहा गया है कि प्रार्थीनी के नाम पर, प्रार्थीनी के पति के नाम विद्युत कनैक्शन है। जिसका मी०सं०–84677257 खाता सं० 40115251661 वित सं०– 3946526021100065 लगा हुआ है। जिसमे विभाग द्वारा मुवलिंग 33,515 रु० का बिल दे दिया गया है। जिसे जमा करने में प्रार्थीनी असमर्थ है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थीनी का बिल कम करने की कृपा कीजिएगा। जिससे प्रार्थीनी को बिल जमा करने में समर्थता हो पाए।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार समस्त बिल M.U. आधार पर निर्मित है, परन्तु उपभोक्ता द्वारा बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण देयक अवशेष है। उपभोक्ता हिस्ट्री एव लेजर की प्रति संलग्न है।
3. विपक्षी के उत्तर पत्र के प्रति परिवादी को भेजी गई एवं सुनवाई के लिए दिनांक 09.04.2026 की तिथि नियत की गयी।
4. दिनांक 09.04.2026 को सुनवाई के लिए उभय पक्ष मंच समक्ष उपस्थित हुये। पक्षकारो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में वास्तविक एवं सामान्य खपत के M.U. के बीजक जारी किए गए हैं। इस

प्रकार वास्तविक रीडिंग पर बने बिलों को संशोधित कराये जाने का आदेश पारित करने का अधिकार इस मंच को नहीं है। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–09.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–09.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–46 / 2026
पंजीकरण तिथि–16.03.2026
निर्णय तिथि–09.04.2026

परिवादी

विद्या देवी
पत्नी दया सागर
वार्ड नं0–27, गांधीनगर
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र दिनांकित 16.03.2026 में कहा गया है कि प्रार्थिनी एक गरीब मेहनत मजदूरी करने वाली महिला है। प्रार्थिनी का बिल 86850 रूपया का दिया गया है, जिसको जमा करने में प्रार्थिनी असमर्थ है, तथा विभाग द्वारा नितांत गलत बिल दिया गया है। प्रार्थिनी द्वारा लगातार हर महीने बिल का भुगतान किया गया है, तथा प्रार्थिनी का विद्युत कनेक्शन भी काट दिया गया है, और मीटर भी विभागी लोग उखाड़ कर ले गये हैं, जोकि गलत कार्य है। महोदय प्रार्थिनी इतना अधिक बिल देने में असमर्थ है। महोदय से निवेदन है कि प्रार्थिनी का विद्युत कनैक्शन जुड़वाया जाये, तथा प्रार्थिनी का मीटर वापस करवाया जाये जो कि प्रार्थिनी के मीटर की सिक्योरिटी राशि भी जमा की हुई है। महोदय से निवेदन है कि प्रार्थिनी का कनैक्शन जोड़ कर गलत दी गई बिल को माफ करने की कृपा की जाय, जिससे एक गरीब महिला के परिवार को राहत मिले जिसके लिए महोदय के आभारी रहेंगे।
2. परिवादी के अनुरोध पर मंच द्वारा वाद को दिनांक 24.03.2026 को सुनवाई के लिए लिया गया और आदेश दिया गया कि यदि परिवादी बकाया राशि का 50 प्रतिशत (41000.00 रूपया मात्र) जमा कर देता है तो संयोजन जोड़ दिया जाये। विपक्षी को दिनांक 09.04.2026 तक विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने का समय दिया गया।

3. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार समस्त बिल M.U. आधार पर निर्मित है, परन्तु उपभोक्ता द्वारा बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण देयक अवशेष है। उपभोक्ता हिस्ट्री एव लेजर की प्रति संलग्न है। उत्तर पत्र की प्रति परिवादी को प्रेषित की गई और सुनवाई के लिए दिनांक 09.04.2026 की तिथि नियत की गयी।
4. मंच द्वारा सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक09.4.2026 को उभय पक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत परिवादी की बिल हिस्ट्री से स्पष्ट है कि परिवादी ने समय-समय पर कुछ राशि का भुगतान किया है परंतु कभी भी बिल का पूरा भुगतान नहीं किया है। बिल हिस्ट्री से यह स्पष्ट है कि विभिन्न बिल चक्रों में वास्तविक मीटर रीडिंग नहीं की गई है। कई बार शून्य यूनिट के तो कई चक्रों में अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक खपत के बिल जारी किए गए हैं। इसी कारण बिलों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। मंच के मत में परिवादी को संयोजन अवमुक्त करने की तिथि दिनांक 02.02.2018 से वर्तमान तक की खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए समय-समय पर लागू टैरिफ दरों पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी / विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को संयोजन अवमुक्त करने की तिथि 02.02.2018 से वर्तमान तक का बीजक मीटर की संपूर्ण खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए समय-समय पर लागू टैरिफ दरों के अनुसार संशोधित करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः-09.04.2026

09/04/2026		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः-09.04.2026

09/04/2026		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

<u>विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच</u>
<u>उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0</u>
<u>हल्द्वानी</u>
<u>जिला–नैनीताल</u>

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

<u>परिवाद संख्या–47 / 2026</u>
<u>पंजीकरण तिथि–16.03.2026</u>
<u>निर्णय तिथि–09.04.2026</u>

परवीन सोनकर परिवादी
पत्नी प्रेम सोनकर
निवासी–वार्ड नं0–01
गांधीनगर पाल काम्पलैक्स के सामने
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

<u>निर्णय</u>

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र दिनांकित 16.03.2026 में कहा गया है कि प्रार्थी के घर में प्रार्थी के नाम पर विभागीय विद्युत कनैक्शन लगा हुआ है जिसका कनैक्शन संख्या–381टीएए4095249, मीटर नं–536461, खाता संख्या–40114823882 एवं बिल संख्या–3046526073000601 है, जिसमें विभाग द्वारा प्रार्थी को अत्यधिक बिल 41,927 /– रुपया दे दिया गया है जिसे प्रार्थी जमा करने पर असमर्थ है, प्रार्थी चाहता है कि उसका बिजली का बिल कम कर/माफ कर प्रार्थी को दिया जाय जिससे प्रार्थी समय पर बिजली का बिल विभाग को अदा कर सके। अतः महोदय से प्रार्थना है कि प्रार्थी का बिजली बिल कम किया जाये जिससे प्रार्थी को बिल अदा कर सके।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार समस्त बिल M.U. आधार पर निर्मित है, परन्तु उपभोक्ता द्वारा बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण देयक अवशेष है। उपभोक्ता हिस्ट्री एव लेजर की प्रति संलग्न है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.04.2026 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि पर उभय पक्ष मंच में उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का परिशीलन करने पर पाया

गया कि बिल चक्र 08/2025 में मासिक खपत असामान्य है। जो कि पूर्व के समय और बाद के समय में किसी प्रकार मेल नहीं खाती है। जुलाई 2025 तक बीजकों में कोई विवाद नहीं है तथा परिवादी पर कोई बकाया भी नहीं है। अगस्त 2025 के बीजक में परिवादी की एक माह की खपत 4897 यूनिट पर बिल बनाया गया है। एक कि0वा0 के संयोजन पर एक माह में इस खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता। इस खपत को साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है तथा मीटर की MRI भी मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। अतः अगस्त 2025 का बीजक पूर्व के तीन माह की खपत के मासिक औसत आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का 30 अगस्त 2025 का बीजक पूर्व के तीन माह की खपत के मासिक औसत आधार पर संशोधित करे तथा अगस्त 2025 से वर्तमान तक के बीजको में लगे सरचार्ज को हटाते हुए संशोधित बिल मांग जारी करे। परिवादी को भी आदेशित किया जाता है कि संशोधित बिल प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–48 / 2026
पंजीकरण तिथिः–23.03.2026
निर्णय की तिथिः– 09.04.2026

मै0 दुर्गा स्नोवाइट मशरूम फार्म, परिवादी
बैंलपडाव रामनगर,
जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः हमारे द्वारा 21.04.2025 को कमप्लेन न0 22104250729 के माध्यम से change of category without load का आवेदन विभाग में किया गया था मगर कर्मचारियों की लेट–लतीफी व लापरवाही की वजह से 5 माह तक हमारा आवेदन पेन्डिंग रखा गया बाद में उच्च अधिकारी **MD UPCL** को सूचना देने के बाद कार्यवाही की गयी और उस समय बताया गया देरी की वजह से जो ऐडजसमेंट करना है वह आगे के दिनों में कर दिया जाएगा। मगर विभाग पुनः अपनी लापरवाही पे ध्यान न देकर आज तक नहीं किया गया जो **UERC** के नियमों का उल्लंघन। 06.07.2025 को बिजली घर में रिले में कुछ खराबी आने की वजह से हमारे प्लांट में टू–फेसिंग आ गयी जिसकी वजह से हमारे विद्युत उपकरणों को काफी नुकसान पहुँचा व प्लांट पे 7,50,000– (सात लाख पच्चास हजार) रूपये का कच्चा माल खराब हो गया था। अतः आप से निवेदन है कि कृपया जाँच करवाकर हमे न्याय दिलवाने की कृपा करें। 20.03.2026 को आँधी–तूफान की वजह से रात 1:30 बजे से सप्लाई बंद कर दी गयी। 21. 03.2026 को शाम 4 बजे तक हमारे निजी ट्रॉस्फारमर से लगभग 1 किलो मीटर पहले सप्लाई को चालू कर दिया गया मगर हमारी सप्लाई को बंद रखा गया। 23.03.2026 को दिन में 12:30 बजे हमे सप्लाई दी गयी। मगर ट्रॉस्फारमर

के एक फ्यूज नहीं जोड़ा गया रात 8:00 बजे फ्यूज जोड़कर हमारी सप्लाई नियमित की गयी। महोदय प्रार्थी विद्युत विभाग का बकाया जमा करने के लिये पूर्ण रूप से बाध्य है मगर विभाग की कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से पाइंट न0 1 में दिये जाने वाले एडजसमेंट को छोड़कर मेरा विद्युत बिल 1,37,000–रूपये है जिसमें से 70,000– (सत्तर हजार) रूपये जमा कर दिया है। और शेष धनराशि एडजसमेंट करने के बाद जो बचती है सूचना प्राप्त होने के सात दिन के अंदर विभाग के खाते में जमा कर देगा। यह भरोसा दिलाता है। अतः आप से निवेदन है कि विभाग मेरा कनेक्शन काटने से रोका जाये। 5. 2016 में टेम्परेरी कनेक्शन के माध्यम से हमसे जो धनराशि जमा करायी गयी थी उपयोग विद्युत बिल को घटाकर शेष धनराशि हमें आज तक प्राप्त नहीं हुई है। न ही उसका कोई एडजेसमेंट किया गया है।

2. दिनांक 24.03.2026 को उभय पक्षों की मंच में सुनवाई की गयी। सुनवाई में विपक्षी द्वारा कहा गया कि परिवादी के बीजक में कोई त्रुटि नहीं है। परिवादी द्वारा भी स्वीकार किया गया कि बीजक में त्रुटि नहीं है। विद्युत बिल बकाया के आधार पर ही संयोजन विच्छेदन के लिए विभाग की टीम परिवादी के परिसर पर जा रही है। विभाग द्वारा स्वीकार किया गया की श्रेणी परिवर्तन का समायोजन परिवादी को दिया जाता है। इस हेतु विस्तृत आख्या बाद में दी जाएगी क्योंकि शिकायत 23.03.2026 को दर्ज की गई है। विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी से तीन दिन के भीतर 1 लाख रूपया लेना सुनिश्चित करें तथा शेष राशि परिवादी को दिए जाने वाले समायोजन के बाद यदि दिनांक 31.03.2026 तक परिवादी बकाया राशि भी जमा करा देता है तो संयोजन विच्छेदित ना किया जाये।
3. मंच के निर्देशों के अनुपालन में विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 04.04.2026 को विस्तृत आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें कहा गया कि मै० दुर्गा हाईजिन फूड पार्क, विद्युत भार–45 कि०वा०, विद्युत संयोजन संख्या **RR0K000030065** के उक्त विद्युत संयोजन की विधा RTD&5 (**General LT industry above 25 KW**) से **RTS–4A** करने हेतु दिनांक 21.04.2025 को आवेदन संख्या 22104250729 के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया गया था, किन्तु उपभोक्ता द्वारा जमानत राशि 17464.00 का भुगतान न करने के कारण दिनांक 12.08.2025 को उक्त कम्पलैन्ट को क्लोज कर दिया गया था। (छाया प्रति संलग्न)। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 20/08/2025 को रु0 17500.00 का भुगतान एन०ई०एफ०टी० के माध्मय से किया गया (छाया प्रति संलग्न,)। जिसके सापेक्ष पुनः कम्पलैन्ट संख्या 20310250436 के माध्मय से दिनांक 03.10.2025 को रजिस्ट्रेशन कर उपवभोक्ता के विद्युत संयोजन की विधा आर०टी०एस०–5 से परिवर्तित कर आर०टी०एस०–4ए कर दी गयी। (छाया प्रति संलग्न, संलग्नक–)। जिसके उपरान्त माह 10/2025 में दिनांक 31.07.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक की अवधि का विद्युत बिल नयी विधा आर०टी०एस०–4ए के आधार पर निर्गत किये गये हैं (छाया प्रति संलग्न)। चूँकि उपवभोक्ता द्वारा 20/08/2025 को वॉछित जमानत धनराशि का भुगतान किया गया तथा माह 08/2025 का विद्युत बिल नई विधा आर०टी०एस०–4 ए के आधार पर निर्गत किया गया। उपभोक्ता के विद्युत बिल में किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त विद्युत बिल में समायोजन नहीं किया जा सकता है। बिन्दु संख्या :– 02 – शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गयी है कि दिनांक 06.07. 2025 को उपस्थान में कुछ खराबी आने से टू–फेसिंग होने के कारण उनके विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त हुये। उक्त उपभोक्ता 33/11 के०वी० उपसंस्थान बैलपडाव से निकलने वाले 11 के०वी० बैलपडाव

पोषक से पोषित है। उक्त दिवस पर बैलपडाव पोषक से पोषित किसी भी उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गयी है। बिन्दु संख्याः– 03 शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि दिनांक 20.03.2026 को आँधी–तूफान आने के कारण विद्युत लाईनें क्षतिग्रस्त हो गयी थी, उक्त क्षतिग्रस्त विद्युत लाईनों पर युद्ध स्तर पर कार्य कर विद्युत आपूर्ति सुचारु करने का प्रयास किया गया। जिसमें 33 के०वी० लाईन, 11 के०वी० लाईन एवं जिस क्षेत्र में अधिक उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति से प्रभावित थे वहाँ कार्य प्राथमिकता से किया गया।

4. विपक्षी की उपरोक्त आख्या की प्रति परिवादी को भेजी गई तथा दिनांक 08.04.2026 को मंच में पुनः सुनवाई नियत की गई। विपक्षी उपखंड अधिकारी सुनवाई में उपस्थित रहे जबकि परिवादी अनुपस्थिति रहे। विपक्षी द्वारा बताया गया कि परिवादी ने बिल की समस्त बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। जहां तक विधा परिवर्तन के आधार पर समायोजन का प्रश्न है तो उसके संबंध में पूर्व में ही विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है। परिवादी द्वारा अगस्त 2025 में वांछित जमानत राशि का भुगतान करने पर विधा परिवर्तन कर दी गई। वर्तमान में विधा परिवर्तन का कोई भी समायोजन होना बाकी नहीं है।
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को बिल संशोधन एवं विधा परिवर्तन समायोजन का कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026		
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।
दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026		
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–49 / 2026
पंजीकरण तिथि–24.03.2026
निर्णय तिथि–09.04.2026

सीमा परिवादी
पत्नी आकाश
वार्ड नं0–04,
इन्द्रानगर पश्चिम
उजाला नगर, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी के निवास स्थान वार्ड नं० 14 इन्द्रानगर, पश्चिमी उजाला नगर हल्द्वानी जिला–नैनीताल का एक विद्युत कनैक्शन घरेलू दो महीने पूर्व सम्बन्धित विद्युत कर्मचारियों द्वारा गलती से विच्छेदित कर प्रार्थी एवं उसके परिवार को विद्युत आपूर्ति से वंचित कर देने से भारी संकट में डाल दिया है। जबकि प्रार्थी द्वारा विद्युत विभाग द्वारा निर्गत बिलों का भुगतान करते रहे हैं। इसके पश्चात भी प्रार्थी को एक भारी भरकम विद्युत बिल निर्गत किया गया है, जो कि गलत है। जिसकी सत्यता जानने का प्रयास प्रार्थी कर रहा है, तो विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का कनैक्शन काट दिया गया। जिससे वर्तमान में बिना विद्युत के रहना पड़ रहा है, तथा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी परेशानी हो रही है। पेयजल, पंखा व फ्रीज, कूलर सब बन्द पड़ गया है। तथा गर्मी का मौसम होने के कारण बच्चे परेशान हो रहे है। जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा कुछ धनराशि जमा कराकर प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन जुड़वा देने की कृपा की जाए, जिसके लिए प्रार्थी महोदय का आभारी रहेगा।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार समस्त बिल M.U. आधार पर निर्मित है, परन्तु

उपभोक्ता द्वारा बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण देयक अवशेष है। उपभोक्ता हिस्ट्री एव लेजर की प्रति संलग्न है।

3. दिनांक 09.04.2026 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी के बिल हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि जून 2022 तक परिवादी ने संपूर्ण बकाया भुगतान किया है। अक्टूबर 2022 के बाद परिवादी को नियमित अंतराल पर बिल नहीं भेजे गये। अक्टूबर 2022 के बाद फरवरी 2023 में एवं उससे बाद अप्रैल 2024 में बिल भेजा गया। अप्रैल 2024 में NA का तथा मई, जून व जुलाई 2024 में IDF के बिल भेजे गए। 1 अगस्त 2024 को IDF आधार पर मीटर बदल दिया गया। मीटर बदलते समय रीडिंग 13546 थी। दिनांक 13.02.2023 में इसी रीडिंग पर मीटर IDF हो चुका था। अतः परिवादी का बीजक 13.02.2023 से मीटर बदले जाने की तिथि 01.08.2024 तक का बीजक 1 कि0वा0 विद्युत भार के नॉर्मेटिव आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा। दिनांक 01.08.2024 से वर्तमान तक के बीजकों में दर्शायी गयी खपत यथावत रहेगी परंतु बिलों से विलम्ब भुगतान अधिभार समाप्त किया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

परिवादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का दिनांक 13.02.2023 से 01.08.2024 तक का बीजक नॉर्मेटिव आधार पर संशोधित करें तथा दिनांक 13.02.2023 से वर्तमान तक के बीजकों में लगे समस्त विलम्ब भुगतान अधिभार (LPS) को हटाकर बकाया राशि का बिल जारी करे। परिवादी संशोधित बिल प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–50/2026
पंजीकरण तिथि–24.03.2026
निर्णय तिथि–08.04.2026

खुशाल सिंह
द्वारा किशन सिंह
ग्राम–पत्तापानी
डाकघर–बैलपड़ाव,
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी ग्राम–पत्तापानी डाकघर–बैलपड़ाव जिला–नैनीताल का रहने वाला है। प्रार्थी के लड़के का नाम खुशाल सिंह है। खुशाल सिंह कहीं बाहर दूसरी जगह में नौकरी करता है। उसने अपने घर में एक बिजली का संयोजन लिया है। उसके बिजली के संयोजन का नम्बर–RRIN–15007127125 है। प्रार्थी के लड़के का बिल तारीख 07.03.2026 को बिल देने वाले ने दिया है। जो कि तारीख 06.02.2026 से तारीख 07.03.2026 तक का है। लगभग एक महीने का यह बिल है। खुशाल सिंह यद्यपि इस समय अपने घर में नहीं रह रहा है उसके घर में जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं वे हैं इनवर्टर ए०सी० फ्रीज तथा तीन सी० सी० टी०वी कैमरे के बल्व हैं जो कि मकान से बाहर लगे हैं। रोशनी करने वाले बल्व आजकल नहीं जलाये जाते हैं। इसका बिजली का बिल नौ सौ कम इकानवे रुपये का आया है इसलिए महोदय से यह कहा जा सकता है कि खुशाल सिंह को घर में अनुपस्थित रहने पर बिजली कम खर्च होगी फिर भी बिल जो अधिक रूपयों का आया है उसकी जांच करते हुए बिल की रकम को कम कर दिया जाय तथा बिजली के बिल का विवरण पूर्ण रूप से लिख कर दिया जाय। इस वर्तमान बिल की छाया प्रति संलग्न है।

2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 07.04.2026 में कहा गया है कि श्री खुशाल सिंह (विद्युत संयोजन संख्या–आर.आर.1 / 5007 / 127125) उपभोक्ता के विद्युत मापक को चैक करने हेतु रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा चैक मापक का शुल्क जमा करने के पश्चात् चैक मापक स्थापित किया जायेगा। चैक मापक की रिपोर्ट के अनुसार ही आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।
3. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों / अभिलेखों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने अपना विद्युत बिल अधिक आने की शिकायत मंच के समक्ष की है। विपक्षी द्वारा कहा गया है कि परिवादी को सही विद्युत रीडिंग के बिल दिये जा रहे हैं। परिवादी को मीटर की शुद्धता पर शंका है तो वह चैक मापक हेतु विपक्षी के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर की शुद्धता जांच करवा सकता है, चैक मापक की रिपोर्ट के अनुसार ही आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।

मंच के मत में यदि परिवादी को मीटर की शुद्धता पर शंका है तो वह चैक मापक हेतु विपक्षी के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर की शुद्धता जांच करवा सकता है। चूंकि चैक मापक स्थापना के लिए परिवादी के स्तर पर ही कार्यवाही की जानी है। अतः मंच में इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विघुत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–51 / 2026
पंजीकरण तिथि–24.03.2026
निर्णय तिथि–08.04.2026

किशन सिंह
ग्राम–पत्तापानी
डाकघर–बैलपडाव,
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर। विपक्षी

निर्णय

1. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी ग्राम–पत्तापानी डाकघर–बैल पड़ाव जिला–नैनीताल का रहने वाला है। प्रार्थी के पास एक घरेलू ग्रामीण बिजली का संयोजन है। इसका नम्बर– RRIN–121003161 है। प्रार्थी को मार्च के महिने का एक महिने का बिजली का बिल तारीख 07.03.2026 को मिला है। जिसकी अवधि बिजली के बिल में तारीख 06.02.2026 से लेकर तारीख 07.03.2026 तक लिखी हुई है। इस बिल में जो लगभग एक महिने की रकम लिखी हुई है वह एक सौ अठाइस रुपया है। बिजली के बिल में केवल एक यूनिट बिजली खर्च दिखाई गई है। जिसकी कीमत सरकार ने 3 रुपया 65 पैसा मात्र लिखी है। पचहत्तर रुपया फिक्स डिमांड चार्ज या मीटर लगाने का शुल्क है। अन्य बिजली विभाग के टैक्स भी हो सकते हैं। प्रार्थी केवल सी०एफ०एल० कम्पनी का केवल एक कम यूनिट का लगभग 15 यूनिट का बल्ब तीन या चार घंटा दिन छिपने के बाद जलाता है इसलिए महोदय से यह कहना मुमकिन है कि प्रार्थी के बिजली का बिल एक सौ रुपये से कम आना चाहिए। अतः महोदय से निवेदन किया जाता है कि आप प्रार्थी के घर में लगे इस बिजली विभाग के कनैक्शन की जांच करते हुए बिजली के बिल का पूरा विवरण देकर रकम को कम करने की कृपा करेंगे, प्रार्थी के द्वारा बिल की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ लगाई गई है।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 07.04.2026 में कहा गया है कि श्री किशन सिंह (संयोजन संख्या–आर.आर.1 / एन.121 / 003161) की बिलिंग माननीय विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार ही विद्युत बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

3. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने अपना विद्युत बिल अधिक आने की शिकायत मंच के समक्ष की है। विपक्षी द्वारा कहा गया है कि परिवादी को सही विद्युत रीडिंग के बिल दिये जा रहे है।

परिवादी ने अपनी शिकायत में बिल का विवरण प्रस्तुत करने की मांग की है। परिवादी ने अपनी शिकायत के साथ बिल की प्रति भी संलग्न की है, बिल का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि बिल में टैरिफ ऑर्डर के अनुसार पूरा विवरण दिया गया है। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है

<u>आदेश</u>

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>	<u>सदस्य (तकनीकी)</u>	<u>सदस्य (न्यायिक)</u>

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
<u>सदस्य (उपभोक्ता)</u>	<u>सदस्य (तकनीकी)</u>	<u>सदस्य (न्यायिक)</u>

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–52 / 2026
पंजीकरण तिथि–25.03.2026
निर्णय तिथि–09.04.2026

सतीश चन्द्र परिवादी
पुत्र मथुरा दत्त
ग्राम–किशनपुर सकुलिया
पो0ओ0–मोटाहल्दू, तह0–लालकुआं
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मेरा बिजली का बिल पहले ₹ 1057.00 के आसपास था। कभी कम कभी ज्यादा नहीं आता है पर इस महीने मेरे बिजली के बिल में ₹ 29595.00 का बिल ज्यादा आया है। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरे बिजली के बिल को ठीक करने की कृपा की जाये।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता (संयोजन संख्या–391N318637956) ने बिल अधिक आने की शिकायत की थी। चैकिंग के दौरान उपभोक्ता के परिसर में 'Unauthorized Use' (अनाधिकृत उपयोग) पाया गया। इसके तहत भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत ₹ 29,595.00 का राजस्व निर्धारण किया गया है, जो माह 02 / 2026 के बिल में जोड़ा गया है। वादी द्वारा वाद को माननीय मंच के अधिकार 3.1 (4) के अंतर्गत सुनवाई योग्य नहीं है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.04.2026 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से मंच में उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत विपक्षी द्वारा उपभोक्ता पर किए गए राजस्व निर्धारण से संबंधित है। इस मंच को धारा 126 के तहत किए गए निर्धारण के संबंध में सुनवाई करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 126 के अंतर्गत किए गए निर्धारण को धारा 127 के तहत संबंधित सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। अतः उक्त प्रकरण मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–09.04.2026

		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–54 / 2026
पंजीकरण तिथि–27.03.2026
निर्णय तिथि–22.04.2026

हरीश लाल
पुत्र दिवान राम
निवासी–कुमाऊँ कालौनी
दमुवाढूंगा
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में कहा गया है कि उसके घर में विभाग द्वारा विद्युत कनैक्शन लगा हुआ है जिसका कनैक्शन नं0–396E161893107, खाता सं0–42500235335 एवं बिल सं0–3946925122800046 है। जिसमें विभाग द्वारा प्रार्थी का अत्यधिक बिल ₹12296.00 का बिल दे दिया गया है जो त्रुटि बिल है। तथा उसका बिल कम करने योग्य है। अत्यधिक बिल जमा करने में प्रार्थी असमर्थ है। अतः महोदय से निवेदन है की प्रार्थी का बिल कम करने की कृपा की जाए। जिससे प्रार्थी बिल भुगतान करने में समर्थ हो सके।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 07.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत में बिल अधिक आने की बात कही है, बिल का अवलोकन करने पर क्या हुआ की रीडिंग के आधार पर बिल सही बना है। माह 04 / 2026 में बिलिंग में उक्त मापक की MRI करने हेतु कहा गया है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 22.04.2026 की तिथि नियत की गई। सुनवाई हेतु विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परिवादी अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा उत्तर पत्र(पत्रांक 304 दिनांक 21.07.2026) मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई क दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा अवगत कराया गया के परिवादी के मापक की MRI करवाई गई जिसमें पाया गया कि रीडिंग KWH की रीडिंग के स्थान पर

KVAH की रीडिंग को ऑनलाइन में गलत फीड की दिया गया है। जिस कारण गलत बिल बन रहे थे। परिवादी का विद्युत बिल MRI के आधार पर विद्युत संयोजन के निर्गत किये जाने की दिनांक से ही संशोधित कर दिया गया है।

4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र मय संशोधन शीट से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत का निवारण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—22/04/2026

22/04/2026 27.04.26

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—22/04/2026

22.04.26

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.:56/2026

Shri/Smt. विद्या देवी **V/S** **Executive Engineer..Haldwani(R)** To [illegible]

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	06.04.2026	आज यह परिवाद प्राप्त हुआ। आदेशित हुआ कि, अवलोकित। दर्ज रजिस्टर हों। विपक्षी / विभाग को उत्तर पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 08.04.2026 की नियत की जाय। पक्षकार सूचित हो।	08.04.2026
	08/04/26	पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी ने विद्युत आपूर्ति की शिकायत की थी, जिसे सुचारू कर दिया गया है। परिवादी ने स्वयं फोन में ई-मेल प्रेषित कर कहा है कि आपूर्ति सामान्य है। अतः शिकायत का निवारण हो जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। हिमांशु बहुगुणा (सदस्य उपभोक्ता) तिलक राज भाटिया (सदस्य तकनीकी) विष्णु प्रसाद डोभाल (सदस्य न्यायिक)	निस्तारित

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–0420251100001
पंजीकरण तिथि–01.12.2025
निर्णय तिथि–09.04.2026

परिवादी

ठकुली देवी परिहार
उन्नति निवास
माँ कालिका कालौनी
रामड़ी जसुवा, कठघरिया
जिला–नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा **CGRF- Complaint** पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि बिजली खाता सं०–42300457473 में 17.12.2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अन्तर्गत सोलर पैनल (3 KW) लगाकर सोलर मीटर लगाया गया जिसके पश्चात, 4 माह बाद दिनांक 23.04.2025 को कालावधि 12.12.24 से 06.04.25 का बिल सोलर द्वारा जनित ऊर्जा प्रदर्शित कर सही बिल आया। दिनांक 21.04.2025 को यू०पी०सी०एल० के कर्मचारी द्वारा घर से सोलर वाला मीटर निकालकर स्मार्ट मीटर जो कि **Unidirectional** था जिसमें सोलर द्वारा जनित ऊर्जा, उपभोग ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित हो रही थी, स्थापित किया गया, जिसके कारण समस्यायें प्रारम्भ हुई तथा अगले 4 माह से ज्यादा समय तक बिजली का बिल जेनरेट नहीं हुआ। अनेक माध्यमों जैसे–CM पोर्टल, विभाग इत्यादि द्वारा 13 अगस्त 2025 को शिकायत करने के पश्चात् विभाग द्वारा जल्दबाजी में बिना त्रुटि का निवारण करे 09.09.25 को कालावधि 06.04.25 से 31.08.25 का बिल जेनरेट कर दिया गया। जिसमें 2 दिन पहले (07.09.25) विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर **Bi-directional** किया गया तथा जिससे 09.09.25 के बिल में 28 unit सोलर द्वारा प्रदर्शित की गई तथा उससे पहले लगभग 145 दिन की अवधि (06.04.25 से 31.08.25) के बिल में सोलर

द्वारा जनित ऊर्जा को स्मार्ट मीटर द्वारा **Uni-directional** होने के कारण लगभग 4 माह की अवधि में 1645 यूनिट खर्च के रूप में दिखाया गया। जिसे उपभोक्ता के पूर्व के बिलों में देखा जा सकता है कि मासिक यूनिट खर्च औसत 70 यूनिट से 100 यूनिट तक ही है, जिससे 4 माह में 1645 यूनिट खर्च होना असंभव है, तथा यह 1645 यूनिट सोलर द्वारा जनित यूनिट है। विभाग से बारम्बार शिकायत करने के पश्चात आगे की अवधि के 31.08.25 से 30.09.25 का बिल स्मार्ट मीटर **Bi-directional** कर सही कर दिया गया तथा आगे के बिल सही प्रदर्शित होने प्रारम्भ हो गये। 17.10.25 को विभाग द्वारा सोलर चैक मीटर भी लगाया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि 06.04.25 से 31.08.25 की अवधि मीटर की समस्या के कारण जो बिल में त्रुटि होकर 1645 यूनिट सोलर द्वारा जनित ऊर्जा को उपभोग ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित किया गया है, उसका समाधान कर 06.04.25 से 31.08.25 की अवधि में बिल में संशोधन करने की कृपा करें, पिछले 7–8 माह में मीटर एवं बिल में समस्या और शिकायत करने के क्रम में प्रार्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहा है। कृपया अति शीघ्र समाधान करें, प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।

2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.12.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विद्युत संयोजन संख्या–391KS01505218, (विद्युत भार 2.00 kw) का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता के परिसर में स्मार्ट मापक दिनांक 21.04.2025 को लगाया गया। इसके उपरांत निर्गत बिलों में स्मार्ट मापक के अनुसार इम्पोर्ट तथा एक्सपोर्ट यूनिट्स के बिल निर्गत हुए हैं, जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है। अतः शिकायतकर्ता की बिल से संबंधित दस्तावेज की प्रति मा० फोरम के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 10.12.2025 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु उभय पक्ष प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा बताया गया कि परिवादी के नेट मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाया गया तथा मीटर बदलते समय अडानी पावर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया गया तथा परिवादी का नेट मीटर उखाड़ दिया गया साथ ही स्मार्ट मीटर को भी बाय डायरेक्शनल नहीं किया गया। जिस कारण दिनांक 21.4.2025 से परिवादी के सोलर सिस्टम से उत्पन्न विद्युत ग्रिड में नहीं जा पाई तथा एक्सपोर्ट शून्य रहा। मामला संज्ञान में आने पर पुराना मापक भी स्थापित किया गया तथा स्मार्ट मीटर को बाय डायरेक्शनल किया गया और अगस्त 2025 में बिल प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया कि अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 के बीच स्मार्ट मापक कंपनी की लापरवाही से उपभोक्ता को हुए नुकसान का स्पष्टीकरण कंपनी से लेकर विस्तृत आख्या दिनांक 28.12.2025 तक मंच में प्रस्तुत करें।
4. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 07.01.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विद्युत संयोजन संख्या 391KS01505218, के सापेक्ष में आपके पत्रांक संख्या–306 दिनांक 10.12.2025 में स्मार्ट मापक कंपनी की लापरवाही से उपभोक्ता के हुए नुकसान का आंकलन कर स्पष्टीकरण 28.12.2025 पूर्वाहन 11.00 बजे तक मंच में प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसी परिपेक्ष में एक्सपोर्ट यूनिट्स के हुए नुकसान के आकलन हेतु परीक्षण खंड को पत्रांक संख्या–79 से दिनांक 06.01.2026 पत्राचार किया गया है। जिसकी आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही कर माननीय मंच को प्रेषित कर दी जाएगी।
5. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र पत्रांक–शून्य दिनांक शून्य में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विघुत संयोजन संख्या 391 KS01505218, के सापेक्ष में उपभोक्ता के एक्सपोर्ट यूनिट्स के हुए नुकसान के आंकलन हेतु अधिशासी अभियन्ता विघुत परीक्षण खंड

को पत्रांक संख्या–79 से दिनांक 06.01.2026 पत्राचार किया गया था पुनः पत्रांक संख्या–296 दिनांक 21.01.26 को नुकसान के आंकलन हेतु पत्राचार किया गया है। जिसकी आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही कर माननीय मंच को प्रेषित कर दी जाएगी।

6. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 17.03.2026 में अतिरिक्त समय की मांग करते हुये पुनः कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विद्युत संयोजन संख्या 391KS01505218, के सापेक्ष में उपभोक्ता के एक्सपोर्ट यूनिट्स के हुये, नुकसान के आंकलन हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण खंड को पत्रांक संख्या–79 से दिनांक 06.01.2026 पत्राचार किया गया था। पुनः पत्रांक संख्या–296 दिनांक 21.01.26 को नुकसान के आंकलन हेतु पत्राचार किया गया है। जिसकी आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही कर माननीय मंच को प्रेषित कर दी जायेगी।

7. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.04.2026 की तिथि नियत की गयी थी। नियत तिथि पर दोनों पक्ष उपस्थित हुए। प्रस्तुत पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि काफी प्रयास के बाद भी सोलर प्लांट की Import/Export वास्तविक रीडिंग प्राप्त नहीं हो पा रही है। न्यायहित में परिवादी के बीजक को दिनांक 21.04.2025 से 25.08.2025 तक के समय के लिए सोलर प्लांट की Capacity एवं पूर्व रीडिंग की औसत आधार पर गणना करते हुए बिल संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेषित किया जाता है कि परिवादी का दिनांक 21.04.2025 से 25.08.2025 अवधि का बिल परिवादी के सोलर प्लांट Capacity एवं पूर्व रीडिंग के औसत आधार पर गणना करते हुए संशोधित करे। संशोधित बिल पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार (LPS) देय नहीं होगा। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:–09.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:–09.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता)	(तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी)	(विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः–
1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202602230001
पंजीकरण तिथिः– 24.02.2026
निर्णय की तिथिः– 08.04.2026

मीना कांडपाल,
एम0बी0 टावर, कालाढूंगी रोड़,
ऊंचापुल, दुर्गा नगर,
लोहरियासाल मल्ला, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– "No bill has been given since July 2025, nor has the electricity sold to the electricity department been paid for. The meter reading person is called but he still does not come."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 23.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता (विद्युत संयोजन संख्या–397KS014479357935) द्वारा अपनी शिकायत मे सोलर रूफटोप की बिलिंग न होने की बात कही गयी है। मा० फोरम को अवगत करना है की मीटर रीडर द्वारा दिनांक 10/03/2026 को वर्तमान बिल बना दिया गया है, साथ ही उपभोक्ता को बिल की एक प्रति दे दी गयी है।

3. विपक्षी द्वारा प्रेषित उत्तर पत्र की प्रतिलिपि मंच द्वारा परिवादी को अग्रसित कर दी गई एवं 04.04.2026 तक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया। परिवादी द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। जिससे प्रतीत हुआ कि परिवादी विपक्षी की कार्यवाही से संतुष्ट हैं।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी / विभाग द्वारा परिवादी की विद्युत बिलिंग / सोलर से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः वाद को आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—08.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः—08.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202603130001
पंजीकरण तिथि–16.03.2026
निर्णय तिथि–09.04.2026

रश्मि देवी गर्ग
रिद्धि–सिद्धि
कृष्णा कुंज कॉलोनी
नैनीताल रोड, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1- परिवादी द्वारा **CGRF- Complaint** पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Meter changed while ceiling certificate dt 02.01.2024 reason due to rain water regular IDF BILL received after changing meter new reading not updated in bill complaint given 27.02.2024 and again reminder on 23.04.2025."

2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 04.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का वर्तमान में संयोजन स्थाई विच्छेदन (PD) हो चुका है, जिसमें उपभोक्ता का समायोजनों के उपरान्त अन्तिम अवशेष रू0 7455.00 है। उत्तर पत्र की प्रति प्रिवादी को प्रेषित की गई एवं सुनवाई के लिए दिनांक 09.04.2026 की तिथि नियत की गई।

3. दिनांक 09.04.2026 को मंच में सुनवाई के लिए विपक्षी उपखंड अधिकारी उपस्थित हुये, परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता के निवेदन दिनांक 02.12.2025 के आधार पर स्थाई विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की जा चुकी है जिसका कार्यालय ज्ञाप भी जारी कर दिया गया है।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 02.12.2025 के आवेदन के सापेक्ष विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित किया जा चुका है। अतः मंच से परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–09.04.2026

09/04/2026		09/04/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202603140001
पंजीकरण तिथि–16.03.2026
निर्णय तिथि–23 .04.2026

जगजीवन सिंह मेहता परिवादी
हृदयम, गोविंदपुरम
बिठोरिया नं0–1, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1- परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Wrong very high billing for 1 month consumption after new smart meter installation. Beyond previous months billing."

2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 27.03.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर में दिनांक 04.02.2026 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया, जबकि इससे पहले दिनांक 25.01.2026 को उपभोक्ता का विद्युत बिल पुराने मापक की रीडिंग के आधार पर 18322 यूनिट पर जारी किया गया। उपभोक्ता का दिनांक 04.02.2026 को स्मार्ट मीटर स्थापित करते समय पुराने मापक में 18812 रीडिंग पाई गयी, जिस कारण उपभोक्ता के पुराने मापक की 490 यूनिट फॉरवर्ड की गयी एवं उपभोक्ता की कुल रीडिंग 490+163 (स्मार्ट मीटर की माप)= 653 यूनिट का बिल जारी किया गया हैं ।

3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 09.04.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार भौतिक रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। विपक्षी / विभाग को निर्देशित किया गया कि परिवादी के पुराने मापक की MRI रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत करे।

4. विपक्षी ने दिनांक 18.04.2026 को आख्या (पत्रांक 295) प्रस्तुत कर कहा कि "M/s Adani Energy Solution Limited द्वारा आज दिनांक तक एमआरआई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है।"

5. दिनांक 22.04.2026 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। परिवादी द्वारा कहा गया कि उसे दिनांक 25.01.2026 को जब बिल दिया गया उस वक्त मीटर की रीडिंग

5. दिनांक 22.04.2026 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। परिवादी द्वारा कहा गया कि उसे दिनांक 25.01.2026 को जब बिल दिया गया उस वक्त मीटर की रीडिंग 18322 थी। 7 दिन बाद दिनांक 04.02.2026 को परिसर पर स्मार्ट मीटर लगाते समय जब पुराना मीटर उतारा गया तो रीडिंग 18812 दर्ज की गई है। अर्थात 10 दिन में 490 यूनिट की खपत दिखाई गई है, जो कि 49 यूनिट प्रतिदिन होती है। इन 10 दिनों का समायोजन पिछले औसत आधार पर दिलाया जाए।

विपक्षी उपखंड अधिकारी द्वारा उपरोक्त रीडिंग को परिवादी की बिल हिस्ट्री के अनुसार सही बताया गया परंतु कहा गया की MRI रिपोर्ट के अनुपलब्धता के चलते वह 10 दिन की इस अप्रत्याशित खपत पर कुछ नहीं कह सकते।

6. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की बिल हिस्ट्री से स्पष्ट है कि दिनांक 25.01.2026 से 04.02.2026 के मध्य 490 यूनिट खपत बिल में दिखाई गई है जो की 2 किलोवाट के संयोजन पर संभव नहीं है क्योंकि बिल हिस्ट्री में उक्त अवधि में परिवादी की MD 2 कि0वा0 से कम ही है। विपक्षी मीटर की MRI रिपोर्ट प्रस्तुत करने में भी नाकाम रहा है। अतः मंच के मत में उक्त 10 दिनों की खपत की गणना पूर्व माह की खपत के प्रतिदिन की औसत के हिसाब से {(324 / 35)x 10=92 यूनिट} करना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के बिल दिनांक 28.02.2026 में पुराने मीटर की Average Assessed Unit 490 के स्थान पर 92 यूनिट करते हुए बिल संशोधित करे। विपक्षी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्मैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:– 23/04/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:– 23/04/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

कोरम 1—बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2—तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या—04202603170001
पंजीकरण तिथि—20.03.2026
निर्णय तिथि—04.04.2026

बबीता
लालडांट रोड
नियर तारा टैंट हाउस
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1- परिवादी द्वारा **CGRF- Complaint** पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Load Enhancement from 5 kw to 10 kw not done since last 2 month."
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 01.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का विद्युत भार 5 **KW** से बढ़ाकर 10 **KW** कर दिया गया है। साक्ष्य स्वरूप परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री भी संलग्न कर मंच में प्रस्तुत की गयी है।
3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर / संतुष्टि पत्र दिनांकित 02.04.2026 में कहा गया है कि **"This is to inform that my electric connection load has been successfully enhanced from 5kw to 10kw."**
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों / अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:–04.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:–04.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202603180001
पंजीकरण तिथि–20.03.2026
निर्णय तिथि–08.04.2026

मै0 ताज इण्टरप्राइजेज
लड्डुआचौड़, ढिकुली
रामनगर
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर। विपक्षी

निर्णय

1- परिवादी द्वारा **CGRF- Complaint** पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Service status is same for the past 15 days: INSPECTION. Please look into the matter and get it resolved at you earliest convenience thanks."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा पूर्व में संयोजन संख्या–RR6G123212467 का भार वृद्धि हेतु आवेदन किया गया था जिस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपभोक्ता से अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० उपसंस्थान घासमण्डी रामनगर, द्वारा साइड निरीक्षण हेतु सम्पर्क किया गया तो उपभोक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उपभोक्ता भार वृद्धि नहीं करना चाहता है, तथा सम्बन्धित आवेदन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है(पत्र की प्रति संलग्न)। उक्त अनुरोध के क्रम में पंजीकरण संख्या–11202260219 को निरस्त कर दिया गया है।।

3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 02.04.2026 में कहा गया है कि "**Meri samasya ka Samadhan ho chuka hai jisse Main santusht Hun shukriya.**"

4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल

शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08 / 04 / 2026

08/04/26		
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08 / 04 / 2026

08/04/26		
(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

कोरम 1—बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2—तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या—04202603180002
पंजीकरण तिथि—20.03.2026
निर्णय तिथि—08.04.2026

प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव
बुराशी, तह0—धारी
जिला—नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल। विपक्षी

निर्णय

1- परिवादी द्वारा **CGRF- Complaint** पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "I had taken a temporary connection. After it was disconnected, I submitted the attached application at Bhimtal SDO office dated 24-11-2022. I have not received the security deposit back for my temporary connection. See the application details attached."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 01.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के अस्थाई संयोजन संख्या—5909999118583 में बकाया धनराशि का भुगतान चैक संख्या—025831 दि0 20.08.2024 के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है ।
3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 05.04.2026 में कहा गया है कि मैं इस निस्तारण से सहमत नहीं हूँ। मुझे ये जानकारी दी जाए की ये चैक किस पते पर, और कैसे भेजा गया था (पता/भेजनें की तारीख/माध्यम)? यदि इस चैक को बैंक में जमा किया गया था तो उसका विवरण (खाता संख्या, जमा करने की तारीख) प्रदान करें।
4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.04.2026 की तिथि नियत की गयी थी। पक्षकार अनुपस्थित रहे। विपक्षी/विभाग द्वारा ईमेल के माध्यम से उत्तर पत्र/आख्या प्रस्तुत करते हुये मंच को अवगत कराया कि उपभोक्ता के अस्थाई संयोजन संख्या—5909999118583 में बकाया धनराशि का भुगतान चैक संख्या—025831 दिनांक 20.08.2024 के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है। उपभोक्ता को बकाया धनराशि का भुगतान रु० 4314.00 **RTGS** के माध्यम से **ICICI**

बैंक, शाखा वैशाली, गाजियाबाद के खाता संख्या–002901041259 (प्रशांत कुमार श्रीवास्तव) में भुगतान दिनांक 20.08.2024 को कर दिया गया है (उपलब्ध कराये गये चैक की प्रति)।

5. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र/आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा, परिवादी के अस्थाई संयोजन संख्या–5909999118583 में बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। चूंकि विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी द्वारा भुगतान संबंधित पूर्ण विवरण भी विपक्षी द्वारा प्रदान कर दिया गया है। इस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08/04/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08/04/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202603190001
पंजीकरण तिथिः– 20.03.2026
निर्णय की तिथिः– 24 .04.2026

हीरा देवी, मोतिपुर नेगी, रामनगर, जिला–नैनीताल — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, रामनगर — विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– "This is regarding my wrong reading of my meter I have already logged a complain #21602260787 but no much action taken on this.."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 06.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के शिकायत के आधार पर उपभोक्ता के संयोजन संख्या–***RR1M445071426*** के मापक संख्या–50005600 की एम०आर०आई की गयी तथा बिलिंग रीडिंग एवं एम०आर०आई० की रीडिंग का मिलान करने पर ज्ञात हुआ है कि उपभोक्ता के बिलिंग रीडिंग एवं एम०आर०आई० रीडिंग में सम्मानता पाई गयी है। (एम०आर०आई० संलग्न) जिस कारण उपरोक्त संयोजन में संशोधन अपेक्षित नही है। उपभोक्ता को मौखिक रूप से अवगत कराने के उपरान्त चैक मापक लगाने हेतु सुझाव दिया गया था जिसमें उपभोक्ता के अनुरोध पर दिनांक 23.03.2026 को परीक्षण प्रयोगशाला रामनगर, द्वारा चैक मापक स्थापित किया गया है। चैक मापक की अन्तिम रिपार्ट प्राप्त होने के उपरान्त बिल संशोधन हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगी।

3. विपक्षी / विभाग द्वारा पुनः दिनांकित 18.04.2026 को आख्या प्रस्तुत कर कहा गया कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या आर0आर01 / एम.445 / 071426 के मापक संख्या 50005600 की एम०आर०आई० की गयी थी जिसकी रिपोर्ट पूर्व में मा० फोरम को उपलब्ध करायी गयी है। दिनांक 23.03.2026 को परीक्षण प्रयोगशाला, रामनगर द्वारा चैक मापक उतारा गया, मापकों की जॉच रिपोर्ट के आधार पर कोई भी अन्तर नहीं पाया गया (सिंलिग प्रमाण–पत्र संलग्न) जिस कारण उपरोक्त संयोजन मे बिल संशोधित नहीं किया जा सकता है।

4. परिवादी द्वारा अपनी आपत्ति दिनांकित 21.04.2026 में निम्न उल्लेख किया गया। I am still not satisfied with answer from electricity department I want to know only one thing

If no one is leaving in that house which Meter unit is almost coming Zero every month why suddenly it was too high in Feb'26 and Aug'25.
If there is no malfunctioning in meter then why bill amount came too high in those two months. Please take a look into below report.
Suddenly Units has gone high 687 (Feb'26) and 841 (Aug'25). I need answer for these .

1. Either Meter malfunctioning
2. Someone is stealing electricity

What solution electricity department has taken to overcome this problem?
They say meter reading is right I may agree but then why Units came too high if someone has stolen units then what is assurance in future this willnot be repeated again.

5. दिनांक 22.04.2026 को मंच में सुनवाई की तिथि नियत की गई। परिवादी सुनवाई में अनुपस्थित रहे, विपक्षी उपखंड अधिकारी उपस्थित रहे हैं। विपक्षी ने कहा कि परिवादी के मापन के **MRI** कराई गई है तथा चैक मापक भी फाइनल किया जा चुका है। परिवादी की बिल हिस्ट्री एवं एम0आर0आई0 रिपोर्ट मेल खा रही हैं।

6. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। बिल हिस्ट्री के अनुसार दो बिल चक्रों 16.07.2025 से 17.08.2025 एवं 16.01.2026 से 17.02.2026 में विद्युत खपत की गई है जिसकी पुष्टि **MRI** रिपोर्ट से होती हैं। अक्टूबर 2023 से मार्च 2026 तक के बीच शेष बिल चक्रों में खपत शून्य है तथा शून्य खपत के ही बिल जारी किए गए हैं। अतः परिवादी को इस मंच से कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–04 .04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–04 .04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202603250001
पंजीकरण तिथि–27.03.2026
निर्णय तिथि–08.04.2026

रूक्मणी पाण्डेय परिवादी
छतोला मुक्तेश्वर
भीमताल
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1- परिवादी द्वारा **CGRF- Complaint** पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Very high bill for March 2026. Please find return complaint attached with all details."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.04.2026 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड भीमताल की आख्या अनुसार अनुबन्धित कार्यदायी संस्था के कार्मिक द्वारा एकमुश्त रिडिंग लिये जाने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल रु० 13812.00 का बना। अनुबन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों को प्रतिमाह ससमय सही रिडिंग अनुसार न दिये जाने हेतु उपखण्ड कार्यालय पत्रांक संख्या 265 दि० 02.04.2026 के माध्यम से नोटिस पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त क्रम में उपभोक्ता के मापक से प्राप्त एकमुश्त रीडिंग को पूर्व के माहों में समायोजित कर रु० 13637.00 का बिल संशोधन कर दिया गया है। जिसके उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल रु 8801.00 का बना है। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 01.04.2026 को विद्युत बिल रु 8801.00 का भुगतान कर दिया गया है।।

3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 06.04.2026 में कहा गया है कि "यह प्रमाणित किया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा उच्च विद्युत बिल के संबंध में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में दर्ज की गई शिकायत पर विद्युत विभाग द्वारा उचित कार्यवाही

कर समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः उक्त शिकायत अब पूर्ण रूप से निस्तारित हो चुकी है और इसे बंद किया जा सकता है।"

4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—08/04/2026

08/04/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—08/04/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202603280001
पंजीकरण तिथि–31.03.2026
निर्णय तिथि–17.04.2026

परिवादी

सरफराज खान
गली नं0–04, बरेली रोड
गौजाजाली, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1- परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "High voltage line tied on my balcony grill. Needs to shift on angle which was already installed by me. Already called UPCL but no action was taken."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 09.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री सरफराज खान, गली नंबर–04, बरेली रोड गौजाजाली, हल्द्वानी जिला–नैनीताल द्वारा विद्युत संबंधी शिकायत दर्ज की गई है। अवर अभियंता द्वारा दी गई आख्या के अनुसार उक्त समस्या का निवारण कर दिया गया है एवं उपभोक्ता की रेलिंग में बंधी केबिल को एंगिल लगाकर सही कर दिया गया है।

3. परिवादी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 10.04.2026 में कहा गया है कि " With reference to my earlier complaint dated 28 March 2026 regarding the unsafe high voltage wire tied to my balcony grill, I would like to inform you that the issue has now been resolved. However, during the course of the work carried out by your ground team to rectify the issue, damage has been caused to my property. The angle structure installed at my premises has fallen down and the cemented portion has also been damaged. While I appreciate the resolution of the safety concern, such negligence during execution is not acceptable. I request you to kindly ensure that your field staff

and their supervisors carry out their duties with proper care and responsibility to avoid damage to customers' property in future.'

4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों / अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र (दिनांक 10.04.2026) से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–17 / 04 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–17 / 04 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202604050001
पंजीकरण तिथि–06.04.2026
निर्णय तिथि–20.04.2026

ललित मोहन जोशी
कालिका कालौनी
लोहरियासाल तल्ला
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1- परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "I have not received yet my Electricity Bill yet. Please generate the bill so that I deposit it in time."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 09.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल बना कर उनको हस्तगत कर दिया गया है तथा उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल जमा भी कर दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 13.04.2026 में कहा गया है कि "नमस्कार जी, मेरी समस्या का समाधान हो गया है, मुझे बिजली विभाग से बिजली का बिल मिल गया है और मैंने जमा भी कर दिया है। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मेरा मोबाइल नम्बर जो बिजली विभाग में रजिस्टर्ड है वह–8755944065 है।"
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र (दिनांक 13.04.2026) से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–20/04/2026

20/04/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–20/04/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202604070001
पंजीकरण तिथि–07.04.2026
निर्णय तिथि– 20.04.2026

मोहन चन्द्र मलकानी परिवादी
जजी क्वाटर
तल्लीताल
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1- परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Name Correction in bill."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 13.04.2026 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के नाम एवं पते को संशोधन किये जाने सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। उपभोक्ता का सही नाम एवं पता ऑन लाइन पोर्टल पर पंजीकृत लिया गया है। उपभोक्ता का संशोधित नाम एवं पता आगामी माह के विद्युत बिल में प्रदर्शित होगा।

3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 20.04.2026 में कहा गया है कि "मेरी समस्या का समाधान हो गया है।"

4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—20.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—20.04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(तिलक राज भाटिया)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202604080001
पंजीकरण तिथिः– 10.04.2026
निर्णय की तिथिः–23 .04.2026

कृतिका मेहरा, परिवादी
कांति महेरा, टी0–02 टावर 1,
पिन ओक, पैराडइस, सोसाईटी,
श्यमखेत, भवाली,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:–"Excessively high electrity bill."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 16.04.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के मापक की एम०आर०आई० रिर्पोट के आधार पर उपभोक्ता का विद्युत बिल सही है। उपभोक्ता को रु0 8364.00 का विद्युत बिल सही निर्गत किया गया है।

3. दिनांक 22.04.2026 को मंच में उभय पक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। परिवादी द्वारा कहा गया कि जनवरी 2026 से उसे बढ़े हुए बिल प्राप्त हो रहे हैं। विपक्षी उपखंड अधिकारी द्वारा कहा गया कि **MRI** रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता को वास्तविक खपत के ही बिल जारी हो रहे हैं जिसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता।

4. उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत **MRI** रिपोर्ट से स्पष्ट है कि परिवादी को वास्तविक मीटर रीडिंग के ही बिल जारी किए गए हैं। वास्तविक खपत के

बिलों में किसी भी प्रकार के संशोधन का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 23 .04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–23 .04.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.:04202604130002
Shri/Smt. Vidya Pavar **V/S** **Executive Engineer..Ramnagr**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	20/04	**आदेश** विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हल्द्वानी, के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। परिवादी द्वारा दिनांक 13.04.2026 को वाद संख्या–04202604130001 ऑन लाइन पोर्टल पर यही शिकायत दर्ज करायी जा चुकी है। जिस पर कार्यवाही गतिमान है। परिवादी द्वारा पुनः दिनांक 13.04.2026 को वही शिकायत ऑन लाइन पोर्टल पंजीकृत की गयी, जिसे निरस्त करते हुये मंच कार्यालय द्वारा सूचना **CGRF**, पोर्टल पर भी उपलब्ध करायी गयी है। पुनः दिनांक 13.04.2026 को परिवादी द्वारा ऑन लाइन पोर्टल पर **Case No**–04202604130002 पंजीकृत किया गया है। चूंकि **Case No**–04202604130001 वर्तमान में मंच में विचाराधीन है व परिवादी द्वारा पंजीकृत की गयी समस्त शिकायतें एक ही है। अतः इस शिकायत संख्या–04202604130002 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक 20.04.2026 20/04/2026 (हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) (तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी) 20/04/26 (बिष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)	निस्तारित